# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—01 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. रणधीर सिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2 दर्शनसिंह सिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)

**— वादी**

बनाम्

**1.** तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

**प्रतिवादी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**उपस्थित :—**

1. श्री जसवीर सिंह — वादी
2. राजपैरोकार

**निर्णय दिनांक 16.01.2023**

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण आपस में सगे भाई है । वादीगण की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 4 आईडीजी जमाबंदी संवत 2078 के खाता सं. 88 / 73 कुल खाता 2.530 है. में वादी सं. 1 के नाम 1.664 है0 व वादी सं. 2 के नाम 0.904 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी वाद पत्र संलग्न है।

यह कि मुताबिक रिकार्ड व चालू जमाबंदी चक 4 आईडीजी जमाबंदी सवत 2071 / 74 के खाता सं. 79 / 73 में वादी सं. 1 रणधीरसिंह के नाम 0.904 है. व वादी सं. 2 दर्शनसिंह के नाम 1.664 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड थी। लेकिन तहसील ऑनलाइन होने के दौरान चक 4 आईडजी में खाता सं. 88 / 73 जमाबंदी संवत 2078 वर्ष 2022 की जमाबंदी बनी जिसमें सहवन या लिपिकीय भूल से वादी सं. 1 रणधीर सिंह का 0.904 हि0 वादी सं. 2 के नाम तथा वादी सं. 2 दर्शन सिंह का 1.664 हि. वादी सं. 1 रणधीर सिंह के नाम दर्ज हो गया। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी व दावेदार है। चालू जमाबंदी चक 4 आईडीजी जमाबंदी संवत 2078 खाता सं. 88 / 73 में वादी सं. 1 का हिस्सा 0.904 है0 व वादी सं. 2 का हिस्सा 1.664 है. पूर्व संवत 2071—74 के खाता सं. 79 / 73 अनुसार दुरूस्त किया जाकर उक्त दुरूस्त हिस्सा में से वादीगण का बहिब 0.019 कुल 0.038 रकबा कलमजन किया जावे तथा इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे

यह है कि वादीगण के वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित अपनी कृषि भूमि के संबध में रास्ता खाला एवं जोत काश्त की सुविधा व जोत के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए घरू विभाजन कर लिया है। उक्त घरू विभाजन के अनुसार ही वादीगण वर्तमान में अपनी कृषि भूमि बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। आधिपत्य को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। घरू विभाजन के अनुसार निम्नानुसार कृषि भूमि वादीगण के आधिपत्य एवं धारणा में है—

**वादी सं. 1 रणधीर सिंह वल्द किकर सिंह जाति जटसिख इन्द्रपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि– जमाबंदी संवत 2078 वर्ष 2022**

| चक | खाता सं | प.न. | मु.न. | किला न. |
|---|---|---|---|---|
| 4 प्क्ळ | 88/73 | 139/127 | 34 | 16/1/0.228है. 16/2/0.025 खाला, 25/1/0.228 है0, 25/2/0.025 खाला |
| 4 प्क्ळ | 88/73 | 140/127 | 33 | 21/1/0.228है. 21/2/0.025 खाला, 20/1/0.126 है0, |

**कुल 0.885 है0 मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि।**

**वादी सं. 2 दर्शन सिंह वल्द किकर सिंह जाति जटसिख इन्द्रपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि– जमाबंदी संवत 2078 वर्ष 2022**

| चक | खाता सं | प.न. | मु.न. | किला न. |
|---|---|---|---|---|
| 4 IDG | 88/73 | 140/127 | 33 | 17 ता 19/0.253 है.प्र., 20/2/0.127है., 22/1/0.228 है., 22/2/0.025 है. खाला, 23/1/0.228, 23/2/0.025 है. खाला, 24/1/0.228, 24/2/0.025 है.खाला, |

**कुल 1.645 है0 मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि।**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि वाद पत्र चरण सं. 3 में उल्लेखित वादीगण के आधिपत्य कब्जा काश्त अनुसार हिस्सा में दर्ज नहीं होने के कारण कृषि भूमि की सीमा, रास्ता, खाला आदि को लेकर विवाद होने का अंदेशा रहता है। खाता में वादीगण हिस्सा व खाता की कृषि भूमि के योग में अंतर आने के कारण उक्त कृषि भूमि का खाता अपवादित खाता की श्रेणी में आ गया है। जिस कारण वादीगण सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो रहे है। इस प्रकरण वादीगण को घरू विभाजन में प्राप्त वादीगण के आधिपत्य में कृषि भूमि जिसे वादीगण निरंतर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि का खाता अलग से कायम होकर रकमराज अलग कायम नहीं अुआ एवं वादीगण की कब्जा काश्त अनुसार खाता में हिस्सा दर्ज नहीं हुआ तो वादीगण के खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन एवं उनके साथ कुठाराघात हो रहा है जिससे वादीगण को अपरिमेय क्षति कारि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नहीं आकी जा सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व संतुलन का वादीगण के पक्ष में है।

यह है कि विगत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि वे वाद पत्र की चरण सं. 3 के उपचरण 1 व 2 के अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान ले तथा इसी अनुसार वादीगण को उक्त घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा रकमराज अलग कायम करवा देवें। वादीगण के इस निवेदन पर प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी के उक्त खाता में योग खाता से वादीगण का अधिक हिस्सा दर्ज होने के कारण व उक्त अधिक हिस्सा कलमजन करने की अधिकारिता न होने के कारण सक्षम न्यायालय से आदेश लाने का कहते हुए वादीगण के निवेदन मानने से कतई इनकार हो गये। बस यहीं वाद का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी ने जवाब स्टेट पेश किया प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहा साक्ष्य वादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। वाद पत्र में कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 3 के 1 व 2 अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद पत्र की दफा 3 के 1 व 2 अनुसार चक 4 प्क्ल खाता सं. 88/73 जमाबंदी वर्ष 2078 में वादी सं. 1 रणधीर सिंह 0.885 है0 भूमि वादी सं. 2 दर्शन सिंह 1.645 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार वादीगण प्रत्येक का 0.019 है0 रकबा कलमजन किया जाकर खाता अलग अलग कायम किया जावे। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक **16.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 01 / 2022

1. रणधीर सिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2 दर्शनसिंह सिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)

**– वादी**

बनाम्

**1.** तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

**प्रतिवादी**

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री जसवीर सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई राजपेरोकार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– वादी सं. 1 रणधीर सिंह वल्द किकर सिंह जाति जटसिख इन्द्रपुरा के हक व हिस्सा की कृषि भूमि– जमाबंदी संवत 2078 वर्ष 2022 चक 4 प्क्ळ खाता सं 88 / 73 प.न. 139 / 127 मु.न.34 किला न.16 / 1 / 0.228है.16 / 2 / 0.025खाला,25 / 1 / 0.228है0, 25 / 2 / 0.025 खाला प.न. 140 / 127 मु.न. 33 किला न. 21 / 1 / 0.228है.21 / 2 / 0.025 खाला, 20 / 1 / 0.126है0, कुल 0.885 है0 मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि व वादी सं. 2 दर्शन सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि– चक 4 प्क्ळ खाता सं 88 / 73 प.न.140 / 127 मु.न. 33 किला न. 17 ता 19 / 0.253 है.प्र., 20 / 2 / 0.127है.,22 / 1 / 0.228है.,22 / 2 / 0.025है.खाला,23 / 1 / 0.228,23 / 2 / 0.025है. खाला, 24 / 1 / 0.228, 24 / 2 / 0.025 है. खाला कुल 1.645 है0 मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार वादीगण प्रत्येक का 0.019 है0 रकबा कलमजन किया जाकर खाता अलग अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×..... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... ×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक **16.01.2023** को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया